

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

:: शुद्धि-पत्र ::

आ0सं0-9/पद-05-01/2016, सा0प्र0...../पटना-15,दिनांक.....

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या- 15329 दिनांक-04.12.2017 द्वारा बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के कर्मियों का स्थानांतरण किया गया था। उक्त आदेश की कंडिका-2 में टंकण भूलवश विभागीय आदेश संख्या-14762 दिनांक-21.11.2017 अंकित हो गया है जिसके स्थान पर विभागीय आदेश सं0-14765 दिनांक-21.11.2017 पढ़ा जाय।

2. उक्त विभागीय आदेश की कंडिका-3 को विलोपित किया जाता है एवं संबंधित कर्मी आदेश निर्गत की तिथि से तीन दिनों के अंदर विरमित होकर नवपदस्थापन विभाग में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् कर्मी स्वतः विरमित समझे जाएंगे।
3. पूर्व का आदेश संख्या-15329 दिनांक-04.12.2017 इस हद तक संशोधित समझा जाए।

ह0/-

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-9/पद-05-01/2016, सा0प्र0.15402...../पटना-15, दिनांक.....4-12-17

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/पर्यटन विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/ बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना/कृषि विभाग/सूचना एवं जन संपर्क विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग/निगरानी विभाग/माननीय मुख्यमंत्री के विधि सलाहकार का कोषांग, विधि विभाग, बिहार, पटना/बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान(बिपार्ड)/बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं संबंधित कर्मियों को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।